



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

!! आदेश !!

क्रमांक102.....

दिनांक 17/02/12

छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना (छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), प्रकाशन) दिनांक 28.12.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित की गई है।

शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सभी कार्यपालन अभियंताओं को अपने-अपने संभागों के कार्य क्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी तथा अपर आयुक्त को मण्डल के लिए अपीलीय अधिकारी के कर्तव्य पालन हेतु अधिकृत किया जाता है।

निम्नानुसार उपायुक्तों (पद) के नाम के सम्मुख दर्शित संभागों के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी के कर्तव्य पालन हेतु अधिकृत किया जाता है :-


क.	सक्षम अधिकारी	पदाभिहित अधिकारी
1	2	3
1	उपायुक्त-1, (योजना) मुख्यालय, रायपुर	1. संभाग क.-02, रायपुर 2. संभाग- दुर्ग 3. संभाग- राजनांदगांव 4. संभाग- जगदलपुर 5. राज.परि.सं.क.-1, रायपुर 6. राज.परि.सं.क.-2, रायपुर 7. परियोजना संभाग- दुर्ग
2	उपायुक्त-2, (विकास) मुख्यालय, रायपुर	1. संभाग क.-1, रायपुर 2. संभाग क.-3, रायपुर 3. संभाग क.-4, रायपुर 4. संभाग- बिलासपुर 5. संभाग- रायगढ़ 6. संभाग- कोरवा

आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर

पृ. क्रमांक 789 /आ.आ./प्रशा./मुख्या./एफ-0021/11 रायपुर, दिनांक 17/02/2011
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ-3-43/2011/32 रायपुर दिनांक 14.02.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
5. उपायुक्त-1 (योजना)/2 (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
7. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
9. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, संभाग/
परि. संभाग..... ।
11. की ओर सूचनार्थ ।
12. कार्यालयीन आदेश/गार्ड फाईल ।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
रायपुर